MT-11

निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

थाना कार्यालय : कलुआही

निरीक्षण की तिथि : 21.10.2002

डा0 बी0 राजेन्दर
भा0 प्र0 से0
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी

डा० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 21-10-2002 को कलुआही थाना का किये गये निरीक्षण से संबंधित अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

1- परिचय :-

कलुआही थाना की स्थापना गृह(आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 1824 दिनांक 31-12-1988 एवं आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक(प्रशासन), बिहार, पटना के वितन्तु सम्वाद संख्या 5 एवं 2 दिनांक 5-1-1989 के अनुसार खजौली थाना के सहायक थाना के रूप में दिनांक 01-01-1989 से किया गया है । जिला मुख्यालय से लगभग 20 कि० मी० की दूरी पर राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-105 से लगभग एक कि०मी० की दूरी पर यह थाना अवस्थित है । निरीक्षण के क्रम में बताया गया कि वर्ष 1981 से कलुआही चौक पर एक नीजी मकान के एक कमरे मे ओ०पी० के रूप मे यह थाना कार्यरत था । बताया गया कि इस थाना क्षेत्रान्तर्गत किसी घटना के बारे में प्राथमिकी खजौली थाना में ही दर्ज होता है । यहाँ उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है कि कलुआही मधुबनी जिला का 21 वें प्रखंड के रूप में दिनांक 14-08-2001 को ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 12278 दिनांक 30-11-1999 द्वारा सृजन किया गया । प्रखंड भवन भी सिंचाई विभाग के पश्चिमी कोशी नहर के मुख्यालय, जो रहिका के अन्तर्गत पड़ता है, उसी के अन्तर्गत इसी परिसर में स्थित है । थाना परिसर में एक बड़ा सा गोदाम है। प्रखंड भवन पुराने कोशी विभाग के भवन में कार्यरत है एवं अच्छे ढ़ंग से उपयोग हो रहा है । इसके अतिरिक्त थाना परिसर में हाल ही में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत आधारभूत संरचना के तहत प्रशिक्षण सह-उत्पाद केन्द्र, भवन का निर्माण कराया गया है, जिसमें बैठक/प्रशिक्षण आदि होता है । यह सहायक थाना अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, सदर मधुबनी एवं आरक्षी निरीक्षक, खजौली अंचल के अन्तर्गत आता है । आवागमन के दृष्टिकोण से सुविधाजनक है । इस थाना क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 94, 607 है । थाना का क्षेत्रफल 21 वर्ग कि० मी० है । इस थाना के अन्तर्गत 10 पंचायत एवं 3 बीट है । इस थाना के अन्तर्गत कोई पिकेट नहीं है । निकटतम रेलवे स्टेशन, जयनगर, खजौली एवं मधुबनी है । सभी स्टेशनों की दूरी औसतम 18 कि०मी० है । इस थाना क्षेत्र के ग्राम-डोकहर में अवस्थित माँ भगवती राज-राजेश्वरी का भव्य मंदिर है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है । इस थाना के उत्तर में 18 कि०मी० की दूरी पर जयनगर थाना, दक्षिण में 12 कि०मी० की दूरी पर रहिकाथाना एवं पूरब में 15 कि०मी० की दूरी पर खजौली थाना एवं पश्चिम में

लगातार.....2/-

अरेर थाना है । चारो ओर जाने के लिए पक्की सड़क की सुविधा है । निरीक्षण के क्रम में उपस्थित आरक्षी निरीक्षक श्री विनय कुमार सिंह ने बताया प्राप्त जानकारी के अनुसार जब श्री रामचन्द्र जी जब जनकपुर जा रहे थे, तो यहाँ कलेवा{नास्ता} करने के लिए रूके थे, फलस्वरूप तब से इसका नाम कलुआही पड़ गया है ।

लगभग 21-22 दिन पूर्व सूचना दिये जाने के बावजूद अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, सदर मधुबनी निरीक्षण के समय उपस्थित नहीं थे, जो खेदजनक है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, सदर मधुबनी से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे ।

2- भवन :-

इस थाना का अपना कोई भवन नहीं है । वर्त्तमान में यह थाना बिहार सरकार के कोशी प्रोजेक्ट के खाली पड़े भवन में कार्यरत है । कार्यालय भवन का निरीक्षण किया गया । बताया गया कि भवन के छत से पानी चूता है, पूरे भवन का प्लास्टर लगभग समाप्त हो गया है । स्थिति बहुत ही जर्जर है । किसी भी समय भयंकर दुर्घटना घटने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि थाना भवन की मरम्मति हेतु सिंचाई विभाग से पत्राचार किया जाय । इसके अतिरिक्त गृह{आरक्षी} विभाग से भी इसकी मरम्मति के लिए अनुरोध किया जाय । थाना भवन के निरीक्षण के क्रम में थाना के दक्षिण दिशा में एक बड़ा सा खेत पाया गया, जिसके बीचोबीच पाँच फीट का एक दीवाल खड़ा हुआ पाया गया । अंचल अधिकारी, खजौली को आदेश दिया जाता है कि इस परिसर के बीच में स्थित दीवाल की जाँच कर 15 दिनों के अन्दर वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें । थाना परिसर में चार आवासीय भवन है, जिसमें थाना के पदाधिकारी रहते हैं । उक्त भवनों की स्थिति भी अच्छी नहीं है । थाना प्रभारी ने बताया कि थाना भवन के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है । थाना भवन के लिए जमीन का अर्जन आवश्यक है । थाना भवन के निर्माण हेतु जमीन का अर्जन हेतु प्रस्ताव 15 दिनों के अन्दर अंचल अधिकारी, खजौली स्थल जाँच कर अधोहस्ताक्षरी का भजना सुनिश्चित करें । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि निजी थाना भवन हेतु भू-अधिग्रहण हेतु अंचल अधिकारी, खजौली से पत्राचार किया गया है ।

3- प्रभार :-

श्री प्रदीप कुमार दास, अवर निरीक्षक दिनांक 07-04-2001 से थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं । इनके पूर्व श्री

लगातार....3/-

शशिभूषण प्रसाद, अवर निरीक्षक थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार वर्ष 1989 से इस थाना में पदस्थापित थाना प्रभारियों की सूची बनाई गई है। इस थाना में कार्यरत पदाधिकारियों के पदस्थापन संबंधी नामपट्ट संधारित है एवं दीवाल पर टंगा हुआ है। वर्ष 1989 से कलुआही थाना में पदस्थापित थाना प्रभारियों का नाम एवं अवधि निम्नवत है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	संवर्ग	कार्य अवधि
1-	अशोक कुमार	अवर निरीक्षक	15-10-1989 से 20-05-1990 तक
2-	सीताराम	अवर निरीक्षक	21-05-1990 से 30-10-1991 तक
3-	मोहनलाल रजक	अवर निरीक्षक	01-11-1991 से 27-01-1993 तक
4-	आर0एन0त्रिपाठी	अवर निरीक्षक	28-01-1993 से 14-09-1993 तक
5-	अर्जुन प्रसाद	अवर निरीक्षक	15-09-1993 से 27-06-1994 तक
6-	आई0 के0 ठाकुर	अवर निरीक्षक	28-06-1994 से 26-04-1995 तक
7-	राजेन्द्र मिश्र	अवर निरीक्षक	27-04-1995 से 24-08-1997 तक
8-	अतुल कुमार मिश्रा	अवर निरीक्षक	25-08-1997 से 24-06-1998 तक
9-	डी0पी0 साह	अवर निरीक्षक	25-06-1998 से 09-06-1999 तक
10-	ए0एच0खाँ	अवर निरीक्षक	10-06-1999 से 06-01-2000 तक
11-	एस0पी0 प्रसाद	अवर निरीक्षक	07-01-2000 से 03-02-2001 तक
12-	प्रदीप कुमार दास	अवर निरीक्षक	07-04-2001 से अद्यतन ।

4- स्थापना :-

कलुआही थाना में स्वीकृत बल की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त	अतिरिक्त
1-	अवर निरीक्षक	2	1	1	-
2-	सहायक अवर निरीक्षक	2	3	-	1
3-	हवलदार	2	1	1	-
4-	आरक्षी	9	4	5	-
	कुल :-	15	9	7	1

लगातार

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अवर निरीक्षक का एक पद, हवलदार का एक पद एवं आरक्षी का 5 पद भी तक रिक्त है । इसके अतिरिक्त एक सहायक अवर निरीक्षक इस थाना में अतिरिक्त पदस्थापित हैं । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से नुरोध है कि रिक्त स्थानों के विरूद्ध पदस्थापन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें ।

स्वीकृत बल के विरूद्ध पदाधिकारियों/आरक्षियों के पदस्थापन की विस्तृत विवरणी निम्नवत है :-

ांक	पद	नाम	पदस्थापन की तिथि	गृह पता
-	अवर निरीक्षक	प्रदीप कुमार दास	04-02-2001	ग्राम-गोड़ीपुर, थाना-कुंडा, जिला-देवघर
-	सहायक अवर निरीक्षक	चर्तुभुज राम	12-07-2002	ग्राम-मानपुर जहाँगीर, थाना-डोरीगंज, जिला-छपरा{सारण} ।
-	सहायक अवर निरीक्षक	शंभू प्रसाद जमादार	10-07-2001	ग्राम-पो0-थाना-जलालगढ़, जिला-पूर्णि
-	सहायक अवर निरीक्षक	बी0के0 पाण्डेय	13-09-2002	ग्राम-पचरूखिया कला, थाना-कोइलवर, जिला-भोजपुर ।
-	हवलदार	कपिलदेव राम	27-07-2001	ग्राम-सुखमलिया, थाना-बरहरिया, जिला-सिवान ।
-	सा0 आरक्षी-214	हरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	23-04-2000	ग्राम-बगही, थाना-अमनौर, जिला-सारण{छपरा} ।
-	आरक्षी-220	केदार सिंह	02-05-2000	ग्राम-मोहनपुर, थाना-धरहारा, जिला-मुंगेर ।
-	आरक्षी 663	महेश मंडल	12-07-2001	ग्राम-भागिरथपुर, थाना-सहुरी, जिला-मधुबनी ।
-	आरक्षी-50	अवधेश प्रसाद सिंह	25-08-2002	ग्राम-नरौली, थाना-बख्तियारपुर, जिला-पटना ।

लगातार....5/-

5- पूर्व निरीक्षण :-

कलुआही थाना का पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारियों का नाम	पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1-	श्री एच०एस० शुक्ला,	अनुमण्डल आरक्षी पदा० सदर, मधुबनी ।	26-03-1981	05-04-1981	11-06-1981
2-	श्री देवनारायण कुँवर	आरक्षी निरीक्षक, खजौली	30-11-1981	01-12-1981	01-01-1982
3-	श्री एच०एस०शुक्ला,	अनुमण्डल आरक्षी पदा० सदर मधुबनी ।	03-03-1982	03-03-1982	25-03-1982
4-	श्री देवनारायण शुक्ला	आरक्षी निरीक्षक, खजौली	28-03-1983	28-03-1983	23-08-1983
5-	श्री एच०एस० शुक्ला,	अनुमण्डल आरक्षी पदा० सदर मधुबनी ।	18-03-1983	08-04-1983	26-08-1984
6-	श्री एम०एन०झा,	अनुमण्डल आरक्षी पदा० सदर मधुबनी ।	13-12-1983	15-12-1983	27-03-1984
7-	श्री पी०एन०तिवारी	आरक्षी निरीक्षक, खजौली	23-03-1984	24-03-1984	26-03-1984
8-	श्री निर्मल चन्द्र दौंदियाल	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	23-09-1985	25-09-1985	10-11-1985
9-	श्री महानन्द झा,	अनुमण्डल आरक्षी पदा० सदर मधुबनी ।	29-11-1985	01-12-1985	03-03-1986
10-	श्री महानन्द झा	अनुमण्डल आरक्षी पदा० सदर मधुबनी ।	12-11-1986	12-11-1986	20-12-1987
11-	श्री जुनूस कुरर	अनुमण्डल आरक्षी पदा० सदर मधुबनी ।	26-08-1987	29-08-1987	01-09-1987
12-	श्री जर्नादन प्र०सिंह	आरक्षी निरीक्षक, खजौली	11-12-1987	15-12-1987	20-12-1987
13-	श्री जुनूस कुरर	अनुमण्डल आरक्षी पदा० सदर मधुबनी ।	29-10-1988	05-11-1988	03-03-1989
14-	श्री एस०पी० रजक	आरक्षी निरीक्षक, खजौली	28-12-1989	28-12-1990	18-03-1990
15-	श्री रणजीत कुमार प्रसाद	अनुमण्डल आरक्षी पदा० सदर मधुबनी ।	21-05-1990	21-05-1990	30-09-1990
16-	श्री योगानन्द सिंह	आरक्षी निरीक्षक, खजौली	30-11-1990	30-11-1990	03-07-1991

लगातार....6/-

17-	श्री आर०आर०वर्मा	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	11-12-1990	19-12-1990	31-12-1991
18-	श्री रणजीत कुमार प्रसाद	अनुमण्डल आरक्षी पदा० सदर मधुबनी ।	28-08-1991	28-08-1991	31-12-1991
19-	श्री उमाकान्त बैठा	आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर	12-01-1992	12-01-1992	25-01-1992
20-	श्री पी०आर०के०नायडु	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	20-01-1992	01-02-1992	24-02-1992
21-	श्री नवीन कुमार सिन्हा	अनुमण्डल आरक्षी पदा० सदर मधुबनी ।	22-10-1992	01-04-1993	13-07-1993
22-	श्री नवीन कुमारसिन्हा	अनुमण्डल आरक्षी पदा० सदर मधुबनी ।	31-08-1993	05-09-1993	05-10-1993
23-	श्री पी०आर०के०नायडु	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	11-09-1993	29-09-1993	25-08-1994
24-	श्री अखिलेश्वर ठाकुर	आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर	27-10-1993	27-10-1993	25-08-1994
25-	श्री अखिलेश्वर ठाकुर	आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर	08-12-1994	08-12-1994	13-12-1994
26-	श्री रामलखन प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	26-10-1995	30-12-1995	21-08-1996
27-	श्री नरेश प्रसाद सिंह भा०आ०से०	अपर आरक्षी पदाधिकारी, सदर मधुबनी ।	24-12-1995	09-01-1996	20-03-1996
28-	श्री राम लखन प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	16-08-1996	09-12-1996	15-12-1996
29-	श्री के०पी०रमैया	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	19-09-1996	05-10-1996	10-07-1997
30-	श्री नरेश प्रसाद सिंह	अपर आरक्षी अधीक्षक, सदर मधुबनी ।	26-02-1997	30-05-1997	30-06-1997
31-	श्री शहाब अख्तर	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	29-07-1997	23-03-1998	26-03-1998
32-	श्री यू०एस०सुधांशु	अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी सदर मधुबनी ।	07-02-1998	11-02-1998	15-02-1998
33-	श्री एस०एन०पासवान	आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर	16-03-1998	16-03-1998	05-04-1998
34-	श्री एस०एन०पासवान	आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर	06-12-1998	06-12-1998	26-12-1998
35-	श्रीमती प्रीता वर्मा,	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	15-03-1999	05-06-1999	11-06-1999
36-	श्री जगदीश दास	आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर	29-01-2000	29-10-2000	30-10-2000
37-	श्री शिवशंकर	अनुमण्डल आरक्षी पदा० सदर मधुबनी	15-01-2001	15-01-2001	20-01-2002

लगातार...7/-

38-	श्री विमलेश प्रसाद सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	31-07-2001	07-08-2001	27-08-2002
39-	श्री शिव शंकर	अनुमण्डल आरक्षी पदा0 सदर मधुबनी ।	17-01-2002	17-01-2002	15-02-2002
40-	श्री विमलेश प्रसाद सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	01-10-2002	06-10-2002	09-10-2002

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि किसी भी अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा इस थाना का निरीक्षण नहीं किया गया है जो उचित नहीं है । बिहार पुलिस हस्तक के नियम 32 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "अनुमण्डल पदाधिकारियों को आरक्षी के संबंध में वहीं सब शक्तियाँ प्राप्त है, जो अन्य अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों को है । हर अनुमण्डल पदाधिकारी का कर्त्तव्य है कि वे अपने अधिक्षेत्र के भीतर सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण करें । अतएव, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित रक्षी संचिका का अवलोकन किया । यह तीन भौलुम में संधारित है एवं, सभी निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी उसी में सटा गया है । यह प्रथा ठीक नहीं है । नियमानुसार सभी निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए अलग-अलग रक्षी संचिका का संधारण होना चाहिए एवं अनुपालन प्रतिवेदन भी उसी में में सटना चाहिए। आरक्षी निरीक्षक, खजौली अंचल द्वारा वर्ष 2000 के बाद इस थाना का निरीक्षण नहीं किया गया है, जो खेदजनक है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अपने अंचलान्तर्गत सभी थानों का वर्ष में एक बार निरीक्षण अवश्य करें ।

दिनांक 19-09-1996 को श्री के0पी0रमैयया, तत्कालीन जिला पदाधिकारी , मधुबनी द्वारा इस थाना का किये गये निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी का अवलोकन किया । निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया है । श्री विमलेश प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी द्वारा दिनांक 01-10-2002 को इस थाना का निरीक्षण किया गया है । श्री एस0शिवशंकर, अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, सदर मधुबनी द्वारा इस थाना का दिनांक 17-01-2002 को किये गये निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी का अवलोकन किया । निरीक्षण टिप्पणी के कण्डिका-17 में अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, सदर मधुबनी द्वारा किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि अनुपालन किया गया है, परन्तु किस पत्रांक/दिनांक से किया गया, इसका कोई जिक्र नहीं है ।

लगातार....8/-

उपर्युक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि बहुत से निरीक्षण टिप्पणियों का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने में विलम्ब किया गया है, जो उचित नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करें । अगर निर्धारित समय-सीमा के अन्दर निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन नहीं भेजा जाता है तो निरीक्षण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है । थाना प्रभारी भविष्य में इसे सुनिश्चित करेंगे ।

6- थाना दैनिकी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-116 के तहत फार्म सं0-15 में थाना दैनिकी संधारित किया जाना है । इस थाना में नियमित रूप से एवं सही ढंग से संधारित किया जा रहा है । यह दो प्रतियों में तैयार की जाती है । कार्बन प्रति प्रतिदिन आरक्षी निरीक्षक के पास भेज दी जाती है । आरक्षी निरीक्षक द्वारा एक महीने का थाना दैनिकी संकलित कर महीने के अंतिम दिन आरक्षी अधीक्षक को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेज दी जाती है । थाना दैनिकी में हर दो घंटे की महत्वपूर्ण सूचनाओं को अंकित किया जाता है । यह कार्य प्रतिदिन 8-00 बजे पूर्वाह्न से शुरू होकर अगले दिन 8-00 बजे पूर्वाह्न तक अर्थात 24 घंटे के चक्र में चलता रहता है । थाना दैनिकी में थाना क्षेत्र में जो भी घटनाएँ घटित होती है, उसको प्रविष्टि की जाती है । इसके अतिरिक्त थाना के पदाधिकारी जब बाहर जाते हैं, उक्त तिथि को कोई हाजत में रहा है अथवा, उक्त तिथि का मौसम कैसा रहा, थाना में कितनी राशि नगद रूप में है, कोई विदेशी थाना क्षेत्र में आया अथवा नहीं, आदि की भी प्रविष्टि की जाती है । यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है । थाना दैनिकी को थाना का दर्पण (Mirror of PoliceStation) कहा जाता है । थाना दैनिकी का अवलोकन किया । थाना दैनिकी के भौलूम संख्या 10316 के क्रमांक 1031501 से 1031600 तक का अवलोकन किया । थाना दैनिकी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि इसमें कहीं-कहीं अपलेखन किया गया है, परन्तु वहाँ पदाधिकारी द्वारा लघु हस्ताक्षर नहीं किया गया है, जो उचित नहीं जान पड़ता है ।

थाना दैनिकी में कलुआही थाना सनहा संख्या 230 समय-8-30 दिनांक 15-10-2002 का अवलोकन किया । इसमें यह अंकित किया गया है कि स0अ0नि0 शंभु प्रसाद, जमादार थाना आये एवं अपने साथ माणिक लाल यादव पे0 स्व0 कुशो यादव, सा0-पुरसौलिया, थाना-कलुआही, जिला-मधुबनी के फर्द बयान पर डाक्टर गोविन्द झा, क्लीनीक कलुआही चौक से अंकित कर थाना लाये, जिसके अवलोकन से कलुआही थाना काण्ड संख्या 230 धारा 341/323/504/34 भा0द0वि0 अंकित किया गया, जिसका औपचारिक प्राथमिकी अंकित करने हेतु थाना प्रभारी, झंझारपुर(?) के पास चौकीदार 4/5 शेख रसीद द्वारा भेजा जा रहा है । उक्त काण्ड का अनुसंधान

लगातार....9/-

स0अ0नि0 शंभू प्रसाद, जमादार करेंगे । उक्त काण्ड के जख्मी का इलाज हेतु जख्म प्रतिवेदन जारी किया जा चुका है ।

7- फिरारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-118 के तहत फार्म सं0-16 में फिरारी पंजी संधारित करना है, जिसे अच्छे ढंग से संधारित किया जा रहा है । फिरारी पंजी दो भाग में संधारित होता है । भाग-1 में अपने थाना के फिरारियों को दर्ज किया जाता है एवं भाग में दूसरे थाना के फिरारियों का नाम दर्ज किया जाताहै । फिरारी पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस थाना में तीन व्यक्ति फिरार घोषित हैं, जिनका नाम निम्नवत है :-

भाग-1 में श्री गोविन्द मिश्र पे0 राधाकान्त मिश्र, सा0-हरिपुरडीहटोल, कलुआही, थाना काण्ड संख्या 9/88 धारा 406/420 भा0द0वि0 में फरार हैं ।

भाग-2 में श्री प्रवीण मुखिया उर्फ श्रवण मुखिया पे0-स्व0 सोने मुखिया, सा0-मलमल, न्यायालय मधुबनी टी0आर0-532/94 धारा 395 भा0द0वि0 में फरार घोषित हैं ।

भाग-2 में ही श्री कृष्ण नारायण पासवान पे0 स्व0 मिन्ती पासवान, सा0-डोकहर, मधेपुर थाना काण्ड संख्या 164/91 धारा 395 भा0द0वि0 में फिरार हैं । इनके विरूद्ध 50/-(पचास) रूपये ईनाम घोषित है ।

पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि श्री प्रवीण मुखिया को गिरफ्तार करने के लिए दिनांक 14-9-2002 को छापामारी किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाताहै कि फिरारियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष छापामारी का प्रबंध कर छापामारी करें एवं निजी गुप्तचर की तैनाती करें ।

8- गिरफ्तार अपराधियों की पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-171 के तहत फार्म संख्या -31ए में इस पंजी का संधारण कियाजाना है ।इस थाना में यह पंजी विहित प्रपत्र के अप्राप्त रहने के कारण सादे पंजी में संधारित किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाताहै कि आरक्षी केन्द्र, मधुबनी से सम्पर्क स्थापित कर एक सप्ताह के अन्दर विहित प्रपत्र में इस पंजी को संधारित करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

लगातार...10/-

इस वर्ष अभी तक कुल 33 व्यक्तियों कोगिरफ्तार किया गया है, जिनमें जनवरी में 3, फरवरी, में शून्य, मार्च में 3, अप्रील में 3, मई में 8, जून में 8, अगस्त में 2, सितम्बर में 4 एवं अक्टूबर में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । अपराधियों के गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराधियों का मनोबलगिरता है एवं विधि-व्यवस्था के संधारण में आसानी होती है ।

9- रिटर्न ऑफ अनरक्सक्यूटेड वारंट :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-109 के तहत फार्म सं0-50 में इस पंजी को संधारित करना है । यह पंजी विधिवत इस थाना में संधारित किया गया है । पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 20 वारंट एवं 10 कुर्की तामिला हेतु लंबित है । लंबित वारंट/कुर्की की विवरणी निम्नप्रकार है :-

पूर्व से लंबित		वर्त्तमान माह में प्राप्त		वर्त्तमान माह में निष्पादित		कुल लंबित	
वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की
41	19	18	6	39	15	20	10

इस प्रकार उपर्युक्त आँकड़ा से स्पष्ट होता है कि 20 वारंट एवं 10 कुर्की तामिला हेतु लंबित चले आ रहे हैं, जो गम्भीर विषय है । नियमानुसार लंबितवारंट/कुर्की का तामिला/निष्पादन एक सप्ताह के अन्दर किया जाना चाहिए । अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, सदर मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि वे इसकी छानबीन कर स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे । यह बहुत महत्वपूर्ण पंजी है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित वारंट/कुर्की का तामिला/निष्पादन 15 दिनों के अन्दर कर अनुपालन अधोहस्ताक्षरी कोभेजनासुनिश्चित करें ।

पदाधिकारीवार लंबित वारंट/कुर्की की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	वारंट	कुर्की
1-	अ0नि0 पी0 के0 दास	-	-
2-	स0अ0नि0 सी0 राम	6	4
3-	स0अ0नि0 एस0 पी0 जमादार	6	-
4-	स0अ0नि0 बी0के0 पाण्डेय	-	6
5-	हवलदार कपिलदेव राम	1	-

लगातार....11/-

6-	आरक्षी-50 अवधेश प्रसाद सिंह	1	-
7-	आरक्षी-220 केदार सिंह	6	-
	कुल :-	20	10

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित वारंट/कुर्की का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर कर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें ।

10- रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाईसेंस :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम -130 के तहत फार्म सं0-25 में यह पंजी संधारित है । पंजी का अवलोकन किया । पंजी विधिवत संधारित है एवं जिला शस्त्र पंजी से दिनांक 18-10-2002 को मिलान किया गया है । बिहार शस्त्र अधिनियम -48 के तहत वर्ष में एक बार इस पंजी का मिलान जिला शस्त्र पंजी से करवाया जाना है, जो किया जा रहा है ।

इस थाना में कुल 14 शस्त्र अनुज्ञाप्ति है, जिसकी विवरणी निम्नप्रकार है :-

(क) एस0बी0बी0एल0	-04
(ख) डी0बी0बी0एल0	-10
(ग) रायफल	-शून्य
(घ) रिवाल्वर	-शून्य ।
कुल :-	14

11- हाजत पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के भौलूम-11 के नियम-239 ए फार्म संख्या-43 ए. में यह पंजी संधारित किया जाना है, किन्तु इस थाना में इसे सादे पंजी में संधारित किया जा रहा है । पंजी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि पंजी हाल में तैयार किया गया है । यह एक महत्वपूर्ण पंजी है, जिसका संधारण किया जाना आवश्यक है । यदि इस पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किया जाता है, कॉलम

लगातार... 12/-

खाली छोड़े जाते हैं, तथा यदि किसी बन्दी के साथ संयोगवश कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में यह भी माना जायगा कि थाना प्रभारी द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है । यह पंजी उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा न्यायालय द्वारा किसी मामले में इस पंजी से संबंधित कोई प्रतिवेदन की मांग की जाती है । उस समय यह पंजी काफी उपयोगी सिद्ध होती है ।

12- तख्ती नं0-1 :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम-76 के तहत तख्तियों को संधारित करना है । तख्ती नं0-1 सरकारी सम्पत्तियों से संबंधित होती है । तख्ती नं0-1 का अवलोकन किया । इसका अन्तिम मिलान आरक्षी केन्द्र, मधुबनी से दिनांक 11-10-2002 को वितरण पंजी से किया गया है । यह एक महत्वपूर्ण तख्ती है, इसका संधारण सही ढंग से करने का निर्देश दिया गया ।

13- तख्ती नं0-2 :-

थाना में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारियों/आरक्षियों का नाम/पता इस तख्ती में अंकित किया जाता है जिसे विधिवत संधारित किया जा रहा है ।

14- तख्ती नं0-3 :-

इस तख्ती में विस्फोटक अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्ति प्राप्त कारखाने, भंडार और दूकानों की सूची रखी जाती है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि विस्फोटक अनुज्ञाप्ति-प्राप्त भंडार का कोई मामला इस थाना में नहीं है ।

15- तख्ती नं0-4:-

इस तख्ती में आयुध, गोला-बारूद भंडार तथा कारखाने की सूची रखी जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थाना क्षेत्र में कोई भी आयुध फैक्ट्री या भंडार नहीं है ।

16-तख्ती नं0-5 :-

इस तख्ती में विष-अधिनियम के अधीन अनुज्ञा-पत्र प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है । थानाप्रभारी ने बताया कि इस थाना क्षेत्र में विष-अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कोई दूकान नहीं है ।

लगातार..... 13/-

17- तहती नं0-6:-

इस तहती में उत्पाद शुल्क और अफीम अधिनियमों के अधीन अनुज्ञापत्र प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है । तहती के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुज्ञाप्ति की प्रति तहती में नहीं रखा गया है । थाना प्रभारी ने बताया कि कलुआही थाना क्षेत्रान्तर्गत 2(दो) शराब की दूकानें क्रमशः एक देशी एवं एक विदेशी शराब की दूकानें है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	अनुज्ञाप्तिधारी का नाम/पता	अनुज्ञाप्ति संख्या	दूकान का प्रकार	दूकान का स्थल
1-	कर्पुरी चौधरी पे0 कार्तिक चौधरी, सा0- मटिहानी, थाना-मटिहानी, जिला-बेगुसराय ।	66ए-16/2002-03	देशी शराब	कलुआही ।
2-	राम परीक्षण सिंह पे0-अवध सिंह, सा0-लक्ष्मीपुर, थाना-कलुआही जिला-मधुबनी ।	66ए-21/2002-03	विदेशी शराब	कलुआही

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उत्पाद अधीक्षक, मधुबनी से सम्पर्क स्थापित कर अनुज्ञाप्ति की छायाप्रति प्राप्त कर तहती में चिपकाना सुनिश्चित करें ।

18- तहती नं0-7 :-

इस तहती में लंबित अन्वेषण कांडों से संबंधित पदाधिकारियों का नाम अंकित किया जाता है, जो अद्यतन है ।

19- तहती नं0-8 :-

इस तहती में जुआ, गेसिंग सेन्टर आदि के संबंध में सूचना अंकित की जाती है । थानाप्रभारी ने बताया कि इस थाना क्षेत्र में गेसिंग एवं जुआ का कोई अड्डा नहीं है ।

20- तहती नं0-9 :-

थाना क्षेत्र में लगने वाले हाट बाजार एवं मेले की सूचना इस तहती में अंकित कीजाती है । तहती अद्यतन है एवं लगने वाले हाट-बाजार, एवं मेरे की तिथिवार सूचना निम्नवत है :-

क्रमांक	स्थान का नाम		दिन
1-	कलुआही	-	शुक्रवार एवं मंगलवार

लगातार....14/-

2- नरार कोठी चौक — बुधवार एवं शनिवार

3- मलमल — रविवार एवं सोमवार

4- बेलाही — बृहस्पतिवार एवं सोमवार

5- बरदेपुर — सोमवार एवं शुक्रवार

6- चिताही खपरपुरा — रविवार एवं बृहस्पतिवार

मेला

1- मुहर्रम पर्व के अवसर पर - कलुआही चौक

2- इन्द्रपूजा के अवसर पर - ग्राम-मलमल

3- शिवरात्रि एवं दुर्गापूजा - ग्राम-डोकहर मंदिर के पास

तख्ती नं0-10 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र के पंचायतों के अध्यक्षों, मुखियों और ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं प्रखंड समितियों के अध्यक्षों के नाम जाते हैं । तख्ती के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तख्ती में दर्ज सूचना अधुरी है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाताहै कि सही ढंग से संधारित करना सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त उक्त तख्ती में थाना क्षेत्र के विधायक/सांसदों का भी नाम अंकित करें ।

तख्ती नं0-11 :-

इस तख्ती में नियम-152 के तहत निर्धारित प्रपत्र में सूचना संधारित की जाती है । तख्ती संधारित है एवं अद्यतन है । इस तख्ती थानों की सूची तैयार की गई है, जिसे विशेष परिस्थिति में डाक-हाक एवं शोर-गुल की सूचना दी जाती है ।

तख्ती नं0-12:-

इस तख्ती में दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है । इस तख्ती के अनुसार इस थाना में कुल दागियों की संख्या 8 है, जिसमें -ए में 4, श्रेणी बी में -3 एवं श्रेणी-सी में । कुल 8{आठ} दागियों की सूची तैयार की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

क्रमांक	दागी संख्या	नाम/पिता का नाम	पता	अपराध शैली
1-	ए/223	रामू राय पे0-रवि राय	कलुआही	चोर

2-	बी/109	मो0 शकूर पे0 जक्की ईमाम	भलनी	चोर
3-	बी/110	मो0 कयूम उर्फ असलम पे0 गफार	हरिपुर मजरही	चोर
4-	ए/54	बाबूजी महतो पे0 तुरंत महतो	कालिकापुर गेनाटोल	चोर
5-	ए/05	राम औतार महतो पे0 नथुनी महतो	पुरतौलिया	चोर
6-	ए/06	राम औतार महतो पे0 सुखाई महतो	पुरतौलिया	चोर
7-	बी0/108	विजय कांत झा पे0 शिवानन्द झा	हरिपुर डीहटोल	चोर
8-	सी/27	उदित नारायण मिश्र पे0 भुवनेश्वर मिश्र	हरिपुर मालटोल	चोर

सबसे पुराने दागी के बारे में बताया गया कि दागी मो0 सकुर ,जो विगत 15-16 वर्षों से फरार हैं,घर पर या गाँव में कभी भी नहीं आया है,उसका कहीं अता-पताभी नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी दागियों के ऊपर कड़ी निगरानी रखें । हो सकता उपर्युक्त दागियों में से कुछ की मृत्यु भी हो गयी हो,फलस्वरूप उसकी छानबीन कर तख्ती से नाम हटाने का प्रस्ताव उचित माध्यम से आरक्षी अधीक्षक को भेजना सुनिश्चित करें ।

24- तख्ती नं0-13 :-

इस तख्ती में सीमावर्त्ती थानों के सक्रिय अपराधियों की सूची रखी जाती है । सूची के अनुसार सीमावर्त्ती थाना बासोपट्टी का 17,खजौली थाना का 5 ,जयनगर थाना का 2 एवं अरेर थाना का 3 सक्रिय अपराधी अर्थात कुल 27 (सताईस) सक्रिय अपराधी हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी सक्रिय अपराधियों के ऊपर कड़ी निगरानी रखें ।

25- तख्ती नं0-14 :-

इस तख्ती में अधिकारियों को भेजी जाने वाली विवरणियाँ रखी जाती है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस थाना तीन तरह का प्रतिवेदन क्रमशः साप्ताहिक प्रतिवेदन 2- मासिक अपराध समीक्षा एवं 3 थाना प्रभारी का साप्ताहिक गोपनीय दैनिकी भी जाती है । इस थानासे जिला पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है । थाना प्रभारी स्पष्ट करें

लगातार....16/-

कि क्या इस थाना से अधोहस्ताक्षरी को अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी को कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता है, जबकि जिलास्तर पर आयोजित "जनता दरबार" में बहुत से मामले थाने से भी संबंधित होता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें ।

26- तख्ती नं0- 15 :-

इस तख्ती में थाना का मानचित्र रखा जाता है । मानचित्र संधारित है । बिहार आरक्षी हस्तक के नियम-131 के अनुसार रखे जाने वाले अपराध मानचित्र के अतिरिक्त मजबूत किरमिची अस्तर वाला एक छपा हुआ, थाना मानचित्र टंगा रहेगा, जिस पर भट्ठियाँ, शराब की दूकानें, सार्वजनिक घाट, चौकीदारी यूनियन की सीमाएँ, सीमावर्ती आरक्षी थानों के चित्र काट-काटकर चिपकाये जायेंगे, नेपाल या अन्य देश के सह-सीमस्थ हों तो इन देशों के सह-सीमस्थ थानों का मानचित्र चिपकाये जायेंगे । किन्तु इस अनुदेश का अनुपालन नहीं किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी हस्तक के नियम-131 के तहत एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

27- तख्ती नं0-16:-

इस तख्ती में सरकारी अधिसूचना की प्रति, थाना नं0, गाँवों की संख्या, आबादी, क्षेत्रफल रखी जाती है । थाना प्रभारी द्वारा इस तख्ती में जनसंख्या, थाना का क्षेत्रफल, गाँव का नाम आदि अंकित कर रखा गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाताहै कि सभी सूचनाओं को अविलम्ब तख्ती में अंकित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें ।

28- तख्ती नं0-17 :-

इस तख्ती में थाना के पदाधिकारी/कर्मियों का कार्य वितरण की सूची अंकित किया जाता है, जो विधिवत संधारित है।

29- सब इन्सपेक्टर नोटबुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म संख्या-75 बी में सब इन्सपेक्टर नोट बुक संधारित करना है । इस थाना में एक छोटे से सादे रजिस्टर में संधारित किया गया है । इसे थाना प्रभारी द्वारा अपने हाथ से लिखना है । पंजी का अवलोकन किया गया । पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा इसे लिखा जा रहा है, जो गलत है । थाना प्रभारी को निर्देश

लगातार...17/-

दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण नियमानुसार विधिवत विहित प्रपत्र में करना सुनिश्चित करें । पंजी अद्यतन है ।

29- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट-। :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है एवं अद्यतन है । इस पंजी में केस के मामले के संबंध में जानकारी मिलती है ।

30- खतियान इन्सपेक्टर रजिस्टर पार्ट-।। :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है जिसमें मासिक रूप से पदाधिकारीवार केस रिपोर्ट, अनुसंधानकर्त्ता का नाम, अभिलेख का निष्पादन किस वर्ष करना है आदि आरक्षी निरीक्षक द्वारा लिखा जाता है । पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2001 में इस थाना में कुल 85 काण्ड प्रतिवेदित हुए है, जिसमें 69 काण्डों में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है । दो काण्ड सत्य सूत्रहीन घोषित हुए तथा असत्य के 6 एवं असंज्ञेय के 8 काण्ड घोषित हैं ।

31- सी0डी0पार्ट- । :-

इसमें दागी व्यक्तियों{डोसियर्स} की सूची रखी जाती है । इस पंजी के अनुसार इस थाना में कुल 8 दागी हैं, जिनका थाना प्रभारी द्वारा समय-समय पर जाँच की जाती है । पंजी सही ढंग से संधारित है ।

32- सी0डी0पार्ट - ।। :-

इस पंजी में सम्पत्ति से संबंधित अपराध के मामले दर्ज किये जाते हैं । जब किसी व्यक्ति के विरूद्ध अपराध साबित हो जाता है, तो उसे इस पंजी में सूचीबद्ध कर दिया जाताहै । इसमें दूसरे थाना का केस लाल स्याही से एवं अपने थाना का केस काला स्याही से अंकित किया जाता है । इस पंजी का अवलोकन किया । पंजी में अंतिम प्रविष्टि कजौली{कलुआही} थाना काण्ड संख्या 52/2002 दिनांक 8-5-2002 धारा 457, 380 भा0द0वि0 से संबंधित है । अनुसंधानोपरान्त काण्ड में अंतिम प्रतिवेदन सत्य सूत्रहीन समर्पित किया गया है । इस पंजी में अंतिम प्रविष्टि संख्या 450 है । इस पंजी के अनुसार श्री महादेव पासवान पे0 नीरस पासवान, सा0-हरिपुर मालट थाना-कलुआही का नाम 1497 पर एवं एम0ओ0 इन्डेक्स के क्रमांक-145 एवं अल्फाबेटिकल इन्डेक्स के क्रमांक 164 पर अंकित पाया गया ।

33- सी0डी0पार्ट-।।। :-

यह पंजी विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में संधारित किया गया है । इस पंजी में थाना क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण

लगातार....18/-

विषयों पर यथा धार्मिक, कृषि, साम्प्रदायिक, भू-विवाद, राजनैतिक मामलों पर गोपनीय अभ्युक्तियाँ वर्षवार अंकित की जाती है । यह पंजी 29-9-2002 तक लिखा गया है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि पंजी को अद्यतन रखें ।

34- अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है एवं अद्यतन है । इस पंजी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन का मामला थाना में आता है, तो उसे अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी से नाम देखकर सी०डी०पार्ट -।। से जानकारी ली जाती है । इस पंजी में उन्हीं व्यक्तियों का नाम रहता है, जो किसी मामले से संलिप्त है । यह पंजी सी०डी०पार्ट-।। में अंकित व्यक्तियों के आधार पर बनायी गयी है । थाना प्रभारी ने बताया कि चरित्र सत्यापन से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है ।

35- एम०ओ० रजिस्टर :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम-357 के तहत फार्म 76 ए; में एम०ओ० रजिस्टर संधारित की गई है । इस रजिस्टर में अपराधियों के अपराध करने की शैली जैसे लूटपाट किया गया अथवा नहीं, लाठी-डंडा से मारपीट किया गया था या नहीं, उनके द्वारा जाते समय क्या-क्या बोला गया आदि की प्रविष्टि की जाती है । पंजी का संधारण सही ढंग से किया जा रहा है ।

36- अप्राकृतिक मृत्यु :-

अप्राकृतिक मृत्यु पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । विगत पाँच वर्षों का अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित आँकड़ा निम्नवत है :-

वर्ष	आग में जलने से	पानी में डूबने से	सर्पदंश से	विद्युत स्पर्शाघात से	पेड़ से गिरने से	विविध
1997	-	3	3	-	-	2
1998	-	-	-	-	-	1
1999	-	2	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	3
2001	-	1	-	-	-	4
2002	2	-	-	-	-	1

लगातार... 19/-

लंबित अप्राकृतिक मृत्यु अभियोग की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	काण्ड संख्या	दिनांक	अनुसंधान पदाधिकारी का नाम	लंबित का कारण
1-	यू०डी०कांड सं०-3/1999	20-12-1999	स०अ०नि० देवकी चौधरी	भीसरा जाँच हेतु ।
2-	यू०डी०कांड सं०-4/2000	16-10-2000	स०अ०नि० शंभू प्रसाद जमादार	आदेश हेतु ।
3-	यू०डी०कांड सं०-2/2001	20-04-2001	अ०नि० प्रदीप कुमार दास	भीसरा जाँच हेतु ।
4-	यू०डी०कांड सं०-4/2001	23-07-2001	स०अ०नि० शंभू प्रसाद जमादार	जाँच हेतु ।
5-	यू०डी०कांड सं०-5/2001	26-09-2001	स०अ०नि० सी० राम	आदेश हेतु ।
6-	यू०डी०कांड सं०-01/2002	23-02-2002	अ०नि० प्रदीप कुमार दास	अनुसंधान हेतु ।
7-	यू०डी०कांड सं०- 03/2002	26-09-2002	स०अ०नि० सी राम	अनुसंधान हेतु ।

37- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी :-

अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी इस थाना में संधारित है । पंजी का अवलोकन किया । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2000 में खजौली(कलुआही) थाना काण्ड संख्या 46/2000 दिनांक 17-4-2000 धारा 341/323/379/384/386/34 भा०द०वि० एवं 3(x) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम/अनुसंधान बाद आरोप पत्र समर्पित किया गया है । इसी प्रकार वर्ष 2002 में(20-10-2002 तक) खजौली(कलुआही)थाना काण्ड संख्या 103/2002 दिनांक 1-8-2002 धारा 323/406/409/420 भा०द०वि० एवं 3(x) अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम अनुसंधान बाद अंतिम प्रतिवेदन सरासर झूठा समर्पित किया गया है । जिला स्तर पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को आयोजित जनता दरबार में अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा उनका मामला दर्ज नहीं किया जाता है, उन्हें समुचित मदद नहीं की जाती है । विदित हो कि कलुआही थाना क्षेत्र अनुसूचित जाति बहुल्य है एवं आये दिन विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भूमिहीन एवं भूमिपतियों के बीच तनाव की सूचनाएँ मिलती रहती है । अतएव, थाना प्रभारी इस पर विशेष ध्यान दें एवं इस अधिनियम को सख्ती से लागू कराना सुनिश्चित करें ।

लगातार...20/-

38- रजिस्टर ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 323 के तहत फार्म संख्या-67 में यह पंजी संधारित करना है, जो संधारित है । थानाप्रभारी ने बताया इस थाना में कोई शस्त्र वर्त्तमान में जमा नहीं है ।

39- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन :-

पुलिस हस्तक के नियम 59(क) के तहत फार्म संख्या 6ए. में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाता है । परन्तु विभिन्न थानों का निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि आरक्षी निरीक्षकों द्वारा यह प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी को नहीं भेजा जा रहा है, जो उचित नहीं है । नियम 59(क) में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि "प्रपत्र संख्या 6ए. में नित्य प्रतिवेदन प्रेषित किया जायगा, उन केसों का विवरण रहेगा, जो प्रतिदिन दर्ज होते हैं । आरक्षी निरीक्षक इन प्रतिवेदनों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे, जो इन्हें क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करेंगे । आरक्षी निरीक्षक, खजौली अंचल को निर्देश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी को नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

40- डकैती पंजी :-

यह पंजी सादे पंजी में इस थाना में संधारित है । इस पंजी में काण्डों से संबंधित संक्षिप्त विवरणियाँ अंकित की जाती है । सभी कांडों में डकैती स्लिप चिपकायी गयी है । अंतिम प्रविष्टि खजौली (कलुआही) थाना काण्ड संख्या 54/2001 दिनांक 29-5-2001 धारा 395 भा0द0वि0 से संबंधित है ।

41- लूट पंजी :-

इस थाना में सादे पंजी में इसे संधारित किया जा रहा है । सभी काण्डों की संक्षिप्त विवरणी इस पंजी में अंकित की गयी है । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंतिम प्रविष्टि खजौली (कलुआही) थाना काण्ड संख्या 48/2000 दिनांक 23-4-2000 धारा 392 भा0द0वि0 अंकित है ।

42- गुण्डा पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 1316(क) के अनुसार अपराध शैली के अनुसार 14 प्रकार के गुण्डों का वर्गीकरण किया

लगातार...21/-

गया है, जो निम्नप्रकार से है :- §1§ शराबी §2§ दवाब डालकर पैसा ऐंठने वाले §3§ मादक पदार्थों का अवैध कारबाज करने वाले §4§ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले §5§ काला बाजारी करने वाले §6§ दंगाई §7§ मुकदमेबाज §8§ तोड़-फोड़ करने वाले §9§ संप्रदायवादी §10§ छात्रों को भड़काने वाले §11§ स्त्रियों एवं लड़कियों का व्यापार करने वाले §12§ जुआड़ी §13§ छीन-छोर करने वाले §14§ रेलगाड़ियों और बसों पर बदमाशी करने वाले । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि सभी किस्म के गुण्डा की सूची वर्गीकरण के अनुसारी बनायी गयी है ।

43- अप्राथमिकी पंजी :-

यह पंजी विधिवत इस थाना में संधारित किया गया है । विगत पाँच वर्षों का अप्राथमिकी आँकड़ा निम्नवत है :-

वर्ष	107/116	144	109	113	290	182/211	188
1997	44	5	-	-	-	1	1
1998	104	2	-	-	-	-	-
1999	55	4	-	-	-	2	-
2000	24	8	-	8	-	-	-
2001	63	14	-	14	-	-	-
2002 §दि०20-10-2002तक§	37	7	-	-	-	-	1

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2002 में निरीक्षण की तिथि तक 107/116 में 37, 144 में 7 एवं 188 में 1 व्यक्ति के विरूद्ध अप्राथमिकी दर्ज करने का प्रस्ताव भेजा गया है । 109, 113, 182/211 एवं 290 में एक भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि थाना प्रभारी को जानकारी की कमी है । निरीक्षण के क्रम में उपस्थित आरक्षी निरीक्षक को निर्देश दिया गया कि इसका संधारण कैसे किया जाय, की जानकारी थाना प्रभारी को उपलब्ध करा दें ।

44- प्राथमिकी पंजी :-

थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि चूँकि प्राथमिकी खजौली थाना में दर्ज किया जाता है, फलस्वरूप कितने मामले

लगातार....22/-

दर्ज हुए, उसकी जानकारी नहीं मिल सकी । प्राथमिकी पंजी 13 कॉलम में संधारित किया जाता है एवं पाँच प्रतियों में तैयार किया जाता है । दर्ज प्राथमिकी की पहली प्रति मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को, दूसरी प्रति आरक्षी अधीक्षक को, तीसरी प्रति अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को, चौथी प्रति आरक्षी निरीक्षक को एवं पाँचवी प्रति थाना में रखी जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि मूल आवेदन/फर्दबयान अग्रसारित कर खजौली थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु भेजा जाता है । चूँकि थाना को प्रथम न्यायालय कहा गया है, अतः जब कोई व्यक्ति थाना में आता है, तो उसे प्रथम न्यायालय में न्याय अवश्य मिलना चाहिए । शिकायत करने आये व्यक्ति की बात पूरी तन्मयता से सुनकर, प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष होकर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए । थाना प्रभारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

45- लंबित विशेष प्रतिवेदित काण्डों की विवरणी :-

इस थाना के अन्तर्गत लंबित विशेष प्रतिवेदित काण्डों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	कांड संख्या/वर्ष	धारा	अनुसंधानकर्त्ता का नाम	लंबित का कारण
1-	51/2002	304(बी), 201/34भा०द०वि०	स०अ०नि० सी० राम	अनुसंधान हेतु ।
2-	61/2002	363, 365, 366ए, 34 भा०द०वि०	स०अ०नि० सी० राम	अनुसंधान हेतु ।
3	84/2002	341, 323, 341, 376, 34भा०द० वि०	अ०नि० पी०के०दास	अनुसंधान हेतु ।
4-	97/2002	147, 148, 149, 341, 323, 324, 307, 448, 380, 302 भा०द०वि०	अ०नि० पी०के०दास	अनुसंधान/गिरफ्तारी हेतु।

थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित विशेष काण्डों के निष्पादन की दिशा में अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करें ।

46- लंबित अविशेष काण्डों की विवरणी :-

इस थानान्तर्गत लंबित अविशेष काण्डों की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	काण्ड संख्या/वर्ष	धारा	अनुसंधानकर्त्ता का नाम	लंबित का कारण
1-	96/2002	341/323/448/380/386/34 भा०द०वि०	स०अ०नि० सी० राम	अनुसंधान हेतु ।

लगातार...23/-

2-	116/2002	385/504/34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 सी0 राम	अनुसंधान हेतु ।
3-	124/2002	457/380 भा0 द0वि0	स0अ0नि0 सी0 राम	अनसंधान हेतु ।
4-	125/2002	341/323/337/354/379/34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 एस0पी0जमादार	अनुसंधान हेतु ।
5-	129/2002	384/506/34 भा0द0वि0	अ0नि0 पी0 के0दास	अनुसंधान हेतु ।

47-मालखाना पंजी :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 308 के तहत फार्म -51 में मालखाना पंजी संधारित किया जाना है । इस थाना में विहित प्रपत्र उपलब्ध नहीं रहने के कारण सादे पंजी में संधारित किया गया है । इस पंजी में लावारिस सामान, जप्त सम्पत्ति, कुर्की से प्राप्त सम्पत्ति एवं आपराधिक विचारणों में प्रदर्श के रूप में भेजी गई सम्पत्ति दर्ज की जाती है । मालखाना पंजी के अनुसार वर्ष 1988 से लेकर 2002{20-10-2002 तक} प्रदर्श के रूप में 33, कुर्की का 25, लावारिस का 2, कुल 60 मद मालखाना में जमा है । मालखाना में रखी गई सम्पत्तियों के निष्पादन हेतु समुचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि बहुत से काण्डों में न्यायालय का आदेश पूर्व में पारित हो गया होगा । थाना परिसर में एक पुरानी फियेट कार पड़ा हुआ पाया गया । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इसकी छानबीन कर इसकी निलामी करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ।

48- मालखाना रिसीट भाउचर पंजी :-

मालखाना रिसीट भाउचर पंजी में सक्षम न्यायालय अथवा दण्डाधिकारी के आदेश से जो भी जप्त सामग्री{प्रदर्श} मालखाना से मुक्त किया जाताहै, उक्त आदेश की प्रति इस पंजी में पेस्ट कर रखी जाती है । यह पंजी दो भागों में होती है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण सही ढंग से करना सुनिश्चित करें ।

49- अनुक्रमणी पंजी :-

इस थाना में कितने तरह की पंजियाँ अथवा संचिकाएँ संधारित की गई है, उसकी अनुक्रमणी पंजी नहीं बनाई गई है । थाना

लगातार..24/-

प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर अनुक्रमणी पंजी तैयार कर थाना में उपलब्ध सभी पंजियों/संचिकाओं को संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । अगर आवश्यक हो तो इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से भी मार्ग निर्देश प्राप्त किया जा सकता है ।

50- अपराध आँकड़ा :-

कलुआही थाना अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों का अपराध आँकड़ा निम्नप्रकार है :-

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	गृहभेदन	चोरी	दंगा
1997	1	-	-	-	4	3
1998	2	-	-	2	4	3
1999	1	-	1	2	-	5
2000	2	-	2	1	-	7
2001	1	1	-	1	5	4
2002 20-10-2002 तक)	1	-	-	5	1	1

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मात्र डकैती एवं लूट की घटना को छोड़कर सभी क्षेत्रों(मदों) में अपराध की घटना में वृद्धि हुई है । इसके रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सघन अभियान चलाकर क्षेत्र में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की कार्रवाई करें । अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर एवं आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर अंचल को इस पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है ।

51- पत्राचार :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 912 के तहत प्रपत्र संख्या 119 अ. में प्राप्त पत्रों की पंजी एवं प्रपत्र 119आ. में निर्गत पत्रों की पंजी संधारित करना है, जिसमें (1) न्यायालय से संबंधित (2) विभाग से संबंधित (3) सीमावर्त्ती थाना से संबंधित एवं (4) आम जनता से संबंधित पत्रों को संधारित करना है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस वर्ष दिनांक 21-10-2002 तक कुल 591 पत्र इस थाना से निर्गत

लगातार...25 /-

किये गये हैं ।

52- रोकड़ पंजी :-

यह पंजी विधिवत विहित प्रपत्र में इस थाना में संधारित किया गया है । यह दो भागों में लिखा जाता है । भाग-। में कैदी भोजन मद का लेखा-जोखा लिखा जाता है । इस मद में माह- अक्टूबर, 2002 में कुल 1929/-रूपये शेष हैं । भाग-।। में पदाधिकारी/कर्मियों का वेतन भुगतान एवं अन्य प्रकार के भुगतान का लेखा-जोखा लिखा जाता है । इस मद में माह-अक्टूबर, 2002 में दिनांक -10-2002 को 70,998/-रूपया एवं 85 पैसा प्राप्त हुआ है, जिसका भुगतान उचित प्राप्तकर्त्ता को किया गया है । इस मद में शेष राशि शून्य है ।

53- कॉन्सटेबुल नोट बुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 89(ड॰) के तहत कॉन्सटेबुल नोटबुक विधिवत संधारित किया जाना है, जो इस थाना में विहित प्रपत्र उपलब्ध नहीं रहने के कारण सादे पंजी में संधारित किया जा रहा है । यह पंजी आरक्षी द्वारा संधारित किया जाता है, जिसमें उनके द्वारा कौन-कौन सा कर्तव्य का पालन किया गया, किस कार्य से कहाँ-कहाँ गया, का जिक्र किया जाता है ।

54- चौकीदारी पंजी :-

पुलिस हस्तक के नियम-13 के तहत विहित प्रपत्र में चौकीदारी पंजी का संधारण किया गया है । यह पंजी 19 कॉलमों में संधारित है जिसमें चौकीदारों की उपस्थिति रोमन अंक में दर्ज की जाती है तथा अनुपस्थिति लाल स्याही से डाटलियन में लिखा जाता है ।

चौकीदार/दफादारों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापन की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्त	अतिरिक्त
1-	दफादार	3	3	शून्य	-
2-	चौकीदार	30	30	शून्य	-

लगातार....26/-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दफादार एवं चौकीदार स्वीकृत बल के विरुद्ध पूर्ण है । स्वीकृत बल के अनुसार पदस्थापित दफादार/चौकीदारों की सूची पूर्ण पता सहित निम्नवत है :-

क्रमांक	महाल एवं बीट संख्या	नाम/पिता का नाम	ग्राम
1-	दफादार-111	दीप नारायण सिंह पे0- स्व0 देवनन्दन सिंह	ग्राम-भलनी, थाना-कलुआही ।
2-	चौकीदार 3/2	राम प्रसाद राय पे0 सोने राय ।	ग्राम-डीहटोल, थाना-कलुआही ।
3-	चौकीदार 3/3	राम प्रसाद पासवान पे0 स्व0 जीवछ पासवान	ग्राम-डीहटोल, थाना-कलुआही ।
4-	चौकीदार 3/4	भागेश्वर पासवान पे0 स्व0 नूनू पासवान	ग्राम-मालटोल, थाना-कलुआहे ।
5-	चौकीदार 3/5	किशोर कुमार पासवान पे0 रामेश्वर पासवान	ग्राम-डोकहर, थाना-कलुआही ।
6-	चौकीदार 3/6	अमोल मंडल पे0 स्व0 निसार मंडल	ग्राम-वकशी टोल ।
7-	चौकीदार 3/8	राजा राम यादव पे0 स्व0 बलदेव यादव	ग्राम-क्योरा, थाना-कलुआही ।
8-	चौकीदार 3/10	लूटन कुर्मी पे0 झिंगुर कुर्मी	ग्राम-शुभंकरपुर , थाना-कलुआही ।
9-	चौकीदार 3/11	योगेन्द्र पासवान पे0 केशो पासवान	ग्राम-बेलाही, थाना-कलुआही ।
10-	चौकीदार 3/12	मधुसूदन पासवान पे0- सरयुग पासवान	ग्राम-लोहा, थाना-कलुआही ।
11-	चौकीदार 3/13	बच्चे लाल पासवान पे0 स्व0 लखन पासवान	ग्राम-मेघपुर , थाना-कलुआही ।
12-	दफादार 1	रामवृक्ष सिंह पे0 स्व0 शुभ नारा0 सिंह	ग्राम-कलुआही, थाना-कलुआही ।
13-	चौकीदार 4/1	सुखदेव पासवान पे0-स्व0 स्वरूप पासवान	ग्राम-मलमल, थाना-कलुआही ।
14-	चौकीदार 4/2	विदेशी यादव पे0 जुड़ी यादव	ग्राम-मलमल, थाना-कलुआही ।
15-	चौकीदार 4/3	भिखारी पासवान पे0 जनक पासवान	ग्राम-राठ, थाना-कलुआही ।

लगातार....27/-

16-	चौकीदार 4/5	मो0 शेख रसीद पे0 मो0 मोहीत	ग्राम-मलमल, थाना-कलुआही ।
17-	चौकीदार 4/9	झड़ी गहेरी, पे0 स्व0 रामजी गहेरी	ग्राम-पुरसौलिया , थाना-कलुआही ।
18-	चौकीदार 4/12	मो0 इशाहाद पे0 स्व0 खुदाबक्स अंसारी	ग्राम-पुरसौलिया, थाना-कलुआही ।
19-	चौकीदार 4/13	इनर यादव पे0 स्व0 बाबूलाल यादव	ग्राम-कलुआही, थाना-कलुआही ।
20-	दफादार-	योगेन्द्र चौधरी पे0 तुगोल चौधरी	ग्राम-नरार, थाना-कलुआही ।
21-	चौकीदार-5/1	सुर्य नारायण यादव पे0 स्व0 भज्जु यादव	ग्राम-नरार, थाना-कलुआही ।
22-	चौकीदार 5/2	राम सजीवन यादव पे0 स्व0 बतहू यादव	ग्राम-नरार , थाना-कलुआही ।
23-	चौकीदार 5/5	रघुवर मंडल पे0 स्व0 जीवछ मंडल	ग्राम-नरार गुलरिया टोल, थाना-कलुआही ।
24-	चौकीदार 5/7	दुखरण पासवान पे0 स्व0 गंगाई पासवान	ग्राम-कालिकापुर, थाना-कलुआही ।
25-	चौकीदार 5/8	सुखदेव धानुक पे0- स्व0 पाँचू धानुक	ग्राम-बरदेपुर, थाना-कलुआही ।
26-	चौकीदार 5/9	अगहन दास, पे0 स्व0 खूबलाल दास	ग्राम-रामगद्दा, थाना-कलुआही ।
27-	चौकीदार 5/10	रामेश्वर यादव पे0 स्व0 मनोहर यादव	ग्राम-भरतपट्टी, थाना-कलुआही ।
28-	चौकीदार 5/11	छोतन पासवान पे0 स्व0 तिलक पासवान	ग्राम-कालिकापुर, थाना-कलुआही ।
29-	चौकीदार 5/13	बहरू मंडल पे0 स्व0 लक्ष्मी मंडल	ग्राम-लक्ष्मीपुर, थाना-कलुआही ।
30-	चौकीदार 5/14	रामलोचन यादव पे0 स्व0 गोधन यादव	ग्राम- नरार, थाना-कलुआही ।
31-	चौकीदार 5/16	छठोलाल यादव पे0 सरयुग यादव	ग्राम-लक्ष्मीपुर, थाना-कलुआही ।
32-	चौकीदार 5/17	रामइकबाल यादव पे0 स्व0 वैधनाथ यादव	ग्राम-भरतपट्टी, थाना-कलुआही ।
33-	चौकीदार 4/4	अनुप दास पे0 हजारी दास	ग्राम-मलमल, थाना-कलुआही ।

लगातार...28/-

55- चौकीदार डिस्पोजीशन पंजी :-

थाना प्रभारी ने बताया कि यह पंजी खजौली थाना के साथ संधारित है तथा पंजी खजौली थाना में ही रखा जाता है । बताया गया कि पंजी संधारित है एवं अद्यतन है ।

56- सम्मान गार्ड :-

निरीक्षण हेतु पहुँचने पर निम्नांकित सम्मान गार्ड कवायद द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सलामी दी गई । सभी आरक्षियों का टर्न आउट अच्छा रहा । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि उनके मनोबल को ऊँचा बनाये रखने हेतु नियमानुसार पुरस्कृत करना चाहिये ।

1- हवलदार- रामपरीक्षण सिंह

2- आरक्षी-786 - सत्य नारायण साह

3- आरक्षी-433 - शोभाकान्त यादव

4- आरक्षी 339 - अनरूद्ध प्रसाद सिंह

57- थानाप्रभारी के कर्त्तव्य :-

थाना प्रभारी से उनके कर्त्तव्य के बारे में पूछने पर संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया । फिर भी विशेष जानकारी हेतु बिहार पुलिस हस्तक के नियम 81(क) में थाना प्रभारी का क्या कर्त्तव्य है, उसकी विवरणी निम्नप्रकार है :-

(क) अधिवासियों की गहरी जानकारी तथा उनका सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करना ।

(ख) अपराध और अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों और अजनबियों के संबंध में चौकीदारों से यथारीति और अविलम्ब ब्यौरे पाना।

(ग) अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर आवश्यक निगरानी बरतना ।

(घ) अपराध निर्देशिका तथा निगरानी अभिलेखों को यत्न से रखना तथा मनन करना ।

(ङ) सघन गश्त की व्यवस्था करना।

(च) अपजीविका केसों में अभियोजन रिपोर्ट उपस्थापित करना।

(छ) सीमावर्ती थानों के अधिकारियों के साथ अधिक से अधिक सहयोग करना ।

लगातार. 29/-

थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि उपर्युक्त निर्देशों के साथ-साथ बिहार पुलिस हस्तक में दिये गये अन्य निर्देशों का अनुपालन सख्ती से करें ।

58- अन्यान्य :-

{क} जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में पी0पी0 द्वारा शिकायत की जाती है कि अनुसंधानकर्त्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में डिफ्युटल का सामना करना पड़ता है । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि गवाह प्रोडक्शन के लिए जो सम्मन भेजे जाते हैं, उसका तामिला निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे तथा केस डायरी की मांग किये जाने पर ससमय उपलब्ध करायेंगे ।

,{ख} ए0पी0पी0 द्वारा जिलाविधि अनुश्रवण समिति की बैठक में जानकारी दी जाती है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में कांडों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतएव, थाना प्रभारी लंबित काडों के अनुसंधान का कार्य त्वरित गति से निष्पादित करतेहुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

{ग} नीलाम-पत्र वादों में निर्गत डी0 डब्लू0 एवं बी0 डब्लू0 का सख्ती से कार्यान्वयन करान सुनिश्चित करें ताकि प्रमादी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके एवं राजस्व की वसूली में प्रगति लाई जा सके । थाना प्रभारी से पूछने पर कि नीलाम-पत्र वाद का कोई मामला तामिला हेतु लंबित है अथवा नहीं, के संबंध में बताया गया कि कुछ मामले लंबित हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि नीलाम-पत्र से संबंधित जो भी मामला है, उसकी सूची बनाकर यदि कालबाधित होता है, तो उसे रिभेलीडेट कराकर 15 दिनों के अन्दर अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।

{घ} भूमि विवाद/नीलाम-पत्र वाद से संबंधित मामलों के निष्पादन में दफादार/चौकीदारों को माह में एक बार अंचल अधिकारी के पास अवश्य भेजें ताकि उनके सहयोग से प्रमादी व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर राशि की वसूली की जा सके ।

{च} गरीब एवं असहाय व्यक्ति/अनुसूचित जाति/जन जाति के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखें एवं उनके साथ सहृदयता से पेश आयें ।

{छ} भूमि विवाद का स्थायी समाधान निकालें । अतिक्रमण हटाने/शांति व्यवस्था कायम करने में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर, नियमित सम्पर्क कर अपेक्षित सहयोग दें ।

{ज} चौकीदारी परेड का निरीक्षण के दौरान सभी चौकीदारों को निर्देश दिया गया कि गाँव के बारे में, असामाजिक तत्वों

लगातार..30/-

के बारे में एवं अन्य गतिविधि के संबंध में थाना को निश्चित रूप से सूचना दें । साथ ही नीलाम-पत्र वाद में सन्निहित राशि की वसूली में अंचल अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।

(ग) इस थाना क्षेत्र में अधोहस्ताक्षरी के भ्रमण के क्रम में पाया गया है कि वाहन रोकर अवैध रूप से चन्दा की वसूली की जाती है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस विन्दु पर विशेष ध्यान रखें एवं प्रमाण-पत्र दें कि इस थाना क्षेत्रान्तर्गत अवैध चन्दा की वसूली नहीं की जा रही है ।

59- निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर इस थाना का कार्य-कलाप संतोषप्रद कहा जा सकता है । थाना प्रभारी श्री प्रदीप कुमार दास एक चुस्त-दुरूस्त पदाधिकारी हैं । यद्यपि श्री दास नये पदाधिकारी हैं, फिर भी नई बातों को सीखने की प्रवृत्ति है । थाना में पंजियों का संधारण सही ढंग से किया जा रहा है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि श्री प्रदीप कुमार दास, थाना प्रभारी, कलुआही एवं आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी अंचल श्री दिव्य कुमार सिंह के कार्य-कुशलता को देखते हुए उनके मनोबल को बढ़ाने हेतु 1,000/- (एक हजार) रूपये की दर से पुरस्कृत करना चाहिये । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर कर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें । थाना स्थित सभी पंजियों में पृष्ठों का सत्यापन पंजी के प्रथम पन्ने में अवश्य करें । यदि इस निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर किया जाता है तो थाना के कार्यकलाप में और भी गुणात्मक सुधार आ सकता है ।

ह0/-डा0बी0राजेन्दर,
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

लगातार...31/-

ज्ञाप संख्या 1620 ।सामान्य, मधुबनी, दिनांक 31 अक्टूबर, 2002 ई0।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि गृह सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार, पटना को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आयुक्त दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, सदर मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि आरक्षी निरीक्षक, खजौली अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि थाना प्रभारी, कलुआही थाना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Rajendra 30/10/2002

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।